

प्रपत्र-V

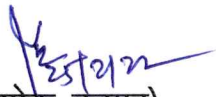
इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सागर के अन्तर्गत बरौदा जलाशय सिंचाई योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल दक्षिण सागर के वन परिक्षेत्र ढाना के वनखण्ड कड़ता के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 810 रकबा 16.00 हेक्टेयर एवं पी.एफ. 814 रकबा 05.06 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 21.06 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, सागर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 25.02.2022

स्थान: भोपाल

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)


(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(अशोक कुमार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग